

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
सूचना/विज्ञप्ति

आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती-2018

संख्या:पीआरपीबी:एक-1(112)2017

दिनांक:जनवरी 14, 2018

- 1.1 उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी, पे बैण्ड-5200-20200 ग्रेड पे-2000 नये वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रू0 21700/- के निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

(क) आरक्षी नागरिक पुलिस

क्र०सं०	श्रेणी	पदों की संख्या
1	अनारक्षित	11761
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	6350
3	अनुसूचित जाति	4939
4	अनुसूचित जनजाति	470
योग		23,520

(ख) आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी

क्र०सं०	श्रेणी	पदों की संख्या
1	अनारक्षित	9000
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	4860
3	अनुसूचित जाति	3780
4	अनुसूचित जनजाति	360
योग		18000

1.2- आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पद पर भर्ती के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र होंगे। महिला अभ्यर्थी इस पद पर भर्ती हेतु पात्र नहीं है।

1.3- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये 02 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 05 प्रतिशत, होमगार्ड्स के लिये 05 प्रतिशत तथा आरक्षी नागरिक पुलिस में महिलाओं के लिये 20 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेशों के आलोक में सुनिश्चित किया जायेगा।

1.4- आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पद पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के श्रेष्ठताक्रम एवं उसके आवेदन पत्र में अंकित वरीयता क्रम (Merit cum order of Preference) के आधार पर किया जायेगा।

1.5- लिखित परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है और यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर उसके लिए कोई कारण समनुदेशित किये बिना रद्द की जा सकती है।

2.1-ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी-

क्र०सं०	विवरण	तिथि
1	आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	22-01-2018
2	आवेदन करने की अन्तिम तिथि	22-02-2018
3	आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	23-02-2018

2.2- आवेदन शुल्क

इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आवेदन शुल्क रु 400/- (रूपये चार सौ मात्र) निर्धारित किया गया है।

3- अर्हतायें:-

3.1-राष्ट्रीयता

भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या
- (ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

3.2-शैक्षिक अर्हता:-

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

टिप्पणी:-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक की शैक्षिक अर्हता स्नातक मानी जायेगी जो मैट्रीकुलेट हो तथा इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन या नौ सेना/वायु सेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किये हों तथा संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
- (2) आवेदन की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण-पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिये। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए (appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (appearing) अभ्यर्थी पात्र न होंगे।
- (3) आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

3.3-अधिमानी अर्हतायें:-

अधिमानी अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, किन्तु दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में प्रस्तर-4.4 में अन्तिम चयन सूची में अधिमान नीचे दिये गये क्रम में प्रदान किया जायेगा:-

- (1) डीओईएसीसी (डोएक)/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या
- (2) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
- (3) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

3.4- आयु:-

भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि:-

- (1)- पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2018 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1996 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए।
- (2)- महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2018 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1993 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए।

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाये।

3.5-चरित्र

अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी-

संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

3.6-वैवाहिक प्रस्थिति-

नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो,

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

3.7-शारीरिक स्वस्थता

किसी अभ्यर्थी को तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाये।

4-भर्ती की प्रक्रिया-

यह चयन 'उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली-2015 यथासंशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2017 एवं उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 (समय-समय पर यथा संशोधित)' के अधीन किया जायेगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट [http:// pbpb.gov.in](http://pbpb.gov.in) पर उपलब्ध है।

4.1- लिखित परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र पूर्ण एवं सही पाये जायेंगे उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्नपत्र होगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी एवं इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिन्दी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता के प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किये जायेंगे। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-1 पर अंकित है।

अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में अथवा कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से संचालित करायी जायेगी।

लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ संचालित कराये जाने की दशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण की प्रक्रिया आवश्यकतानुसार अपनायी जायेगी।

यदि कोई प्रश्न अथवा उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को उसके पूरे अंक प्रदान किये जायेंगे।

लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे यथासमय अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

4.2- दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण

लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जायेगा। अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक निम्न होंगे:-

(1)-पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(एक) ऊँचाई :

(क) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

(ख) अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

(दो) सीना:

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और अन्यून 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए।

टिप्पणी:-न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

(2)-महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(एक) ऊँचाई :

(क) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

(ख) अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

(दो) वजन :

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे यथासमय अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

4.3— शारीरिक दक्षता परीक्षण

दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 कि०मी० की दौड़ अधिकतम 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 कि०मी० की दौड़ अधिकतम 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे यथासमय अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

4.4— चयन तथा अन्तिम योग्यता सूची

शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा तैयार की जायेगी और उसे विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जायेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जायेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदनोपरान्त अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन के अध्यक्षीन नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए इसे नियुक्ति प्राधिकारी के विचारार्थ प्रेषित किया जायेगा।

टिप्पणी— यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी श्रेष्ठता का विनिश्चय निम्नलिखित क्रम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:—

- (1) ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जायेगा जो प्रस्तर 3.3 में यथा उल्लिखित क्रम के अनुसार अधिमानी अर्हता, यदि कोई हो, धारित करता हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाला अभ्यर्थी केवल एक ही अधिमानी अर्हता की प्रसुविधा प्राप्त करेगा।
- (2) तथापि यदि दो या अधिक अभ्यर्थी तब भी समान हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जायेगा।
- (3) यदि ऊपर उल्लिखित एक से अधिक अभ्यर्थी फिर भी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी की अधिमानता का अवधारण हाईस्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार की जायेगी।

5—आरक्षण व आयु सीमा में छूट

लम्बवत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम-1994 (समय-समय पर यथा संशोधित), उत्तर प्रदेश लोक

सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। महिलाओं के लिए आरक्षण कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या:18/1/ 99/का-2/99 दिनांक 26-02-1999 एवं शासनादेश संख्या:18/1/99/का-2/2006 दिनांक 09-01-2007 तथा होमगार्ड्स के आरक्षण शासनादेश संख्या: 7122/6-पु0-10-94-1200(269)/770 दिनांक 25 जनवरी, 1995 के अनुसार अनुमन्य होंगे।

5.1- लम्बवत (वर्टिकल) आरक्षण

क्र० सं०	श्रेणी	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	21	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-2	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगनामजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी
2	अनुसूचित जनजाति	02	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-2	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटीमजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	05 वर्ष	जाति प्रमाण पत्र प्रारूप-1	जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

5.2- क्षैतिज (हारिजेण्टल) आरक्षण

क्र०सं०	विशेष श्रेणी	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाण-पत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	02	-	आश्रित प्रमाण पत्र प्रारूप-3	जिलाधिकारी
2	भूतपूर्व सैनिक	05	03 वर्ष *	यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी
3	होमगार्ड्स	05	03	होमगार्ड्स सेवा प्रमाण पत्र	जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स
4	महिला(केवल आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए)	20	-	-	-

*भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.3- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या: 2-ई:एम:/2001(1)-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन

सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण पत्र प्रारूप-4 के अनुरूप निर्गत होना चाहिये।

5.4- शासन के पत्र संख्या-17/6-पु0-10-2016-27(3)/2016 दिनांक 18 जनवरी, 2016 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छूट की पात्रता है, उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जायेगी, जिसमें उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट की अनुमन्यता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का है और उत्तर प्रदेश का राजकीय सेवक भी है तो आयु सीमा में उसे अधिकतम छूट 5 वर्ष ही अनुमन्य होगी।

टिप्पणी

- (1) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति की कोई स्त्री किसी सवर्ण पुरुष से विवाह करती है तो उसे विवाह के उपरान्त भी पूर्व में अनुमन्य आरक्षण मिलता रहेगा।
- (2) यदि कोई सवर्ण स्त्री किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के पुरुष से विवाह करती है तो उस स्त्री को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- (3) गोद लिये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी सन्तान स्वरूप हो जाता है। अतः यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई व्यक्ति किसी सवर्ण बच्चे को नियमानुसार गोद लेता है तो उस बच्चे को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य होगा।
- (4) उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 में निर्धारित उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-1, उत्तर-प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-2 तथा शासनादेश संख्या-5/2015/18/1/2008-का-2/2015 दिनांक 21 अप्रैल, 2015 में निर्धारित उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप-3 पर है।
- (5) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (समय-समय पर यथा संशोधित) की अनुसूची-दो के अनुसार **कीमीलेयर** के अन्तर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-1) 01 अप्रैल, 2017 या उसके बाद का किन्तु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए।
- (6) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें तथा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन करने से पूर्व प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे प्रस्तुत करें। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

- (7) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उसके लिये ज्यादा लाभकारी होगा।
- (8) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।
- (9) लम्बवत/क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने सम्बन्धी निवास प्रमाण-पत्र (डोमीसाइल सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- (10) आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न किये जाने पर यह अवधारणा की जायेगी कि अभ्यर्थी आरक्षण का दावेदार नहीं है एवं तदनुसार यह दावेदारी निरस्त कर, यदि अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की समस्त पात्रताओं को पूर्ण करता हो तो, उसे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत मानते हुए भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस संबंध में किसी संशोधन/परिवर्तन हेतु पुनः कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

5.5 – स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित :-

‘स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित’ का तात्पर्य किसी स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के-

- (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित) और
- (दो) पौत्र(पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) से है।

दत्तक पुत्र/पुत्री भी गोद लेने वाले व्यक्ति की सन्तान स्वरूप माने जायेंगे तथा उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का लाभ अनुमन्य होगा।

5.6- भूतपूर्व सैनिक:-

“भूतपूर्व सैनिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में किसी कोटि में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में कम से कम 06 मास की अवधि के लिये लगातार सेवा की हो और जो-

- (एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या
- (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गई है, या
- (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या

(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं:-

- (1) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,
- (2) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और
- (3) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

टिप्पणी:-

(1)- The persons serving in the Armed Forces of the union, who on retirement from service, would come under the category of "Exservicemen" may be permitted to apply for reemployment one year before the completion or the specified terms of engagement and avail themselves of all concessions available to exservicemen but shall not be permitted to leave the uniform until they complete the specified terms of engagement in the Armed Forces of the Union.

(2)- आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा पूरी कर लेगा।

5.7- होमगार्ड्स

होमगार्ड्स को 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण का लाभ उसी दशा में प्राप्त होगा जब वे इस भर्ती हेतु अन्यथा अर्ह हो, उनकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 25 वर्ष हो तथा आवेदन की अन्तिम तिथि को उन्होंने होमगार्ड्स में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

6- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना-

ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथा लागू निम्नलिखित अभिलेख होने आवश्यक है:-

क- शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी अभिलेख-

दसवीं एवं बारहवीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र

ख- अधिमानी अर्हता सम्बन्धी अभिलेख(यदि कोई हो तो)-

(1)-डोएक/नाइलिट सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' लेवल का प्रमाण-पत्र या

(2)- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र या

(3)- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र।

ग- आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे सम्बन्धी अभिलेख (यदि लागू हो)-

(1)- उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र

(2)- अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप-1 पर (01 अप्रैल, 2017 या उसके बाद का किन्तु इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक) निर्गत होना चाहिए।

(3)- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप-2 पर (इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक या इससे पूर्व) निर्गत होना चाहिए।

(4)- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप-3 पर निर्गत होना चाहिए।

(5)- भूतपूर्व सैनिक यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/सेवामुक्ति प्रमाण पत्र, यूनिट के कमाण्डेन्ट द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन'।

(6)- जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स द्वारा निर्गत सेवा प्रमाण पत्र। आवेदन की अन्तिम तिथि को होमगार्ड्स में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए।

(7)- आयु में छूट चाहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप-4 पर होना चाहिए।

(8)- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

घ- फार्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी की नवीनतम और रंगीन फोटो और हस्ताक्षर। रंगीन फोटो का आकार 35 मि०मी० (1.4 इंच) X 45 मि०मी० (1.75 इंच) का होना चाहिए जिसमें फोटो का लगभग 70 प्रतिशत भाग चेहरे से आच्छादित हो। अभ्यर्थी 3.5 से०मी० चौड़ा व 1.5 से०मी० लम्बे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर JPEG, JPG, JPE के प्रारूप में स्कैन करेंगे जिसका आकार 5KB से अधिक व 20KB से कम होना चाहिये।

अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन में की गयी सभी प्रविष्टियां और अपलोड किये गये फोटोग्राफ व हस्ताक्षर सही हैं और बोर्ड की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। यदि इनमें कोई कमी जैसे फोटोग्राफ स्पष्ट नहीं है अथवा बोर्ड की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है अथवा आवेदन में की गयी प्रविष्टियां परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के समय प्रस्तुत किये गये पहचान पत्र से मेल नहीं खाती हैं तब उसे परीक्षा में प्रवेश और सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

7-ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

(1)- अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट <http://prpb.gov.in> पर जाकर All Notification/Advertisement को क्लिक करना होगा तत्पश्चात आरक्षी

नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के लिए Candidate's Registration पर क्लिक कर आगे की प्रक्रियाओं को पूर्ण करना होगा।

- (2) आवेदन पत्र के प्रारूप को भरे जाने हेतु वेबसाइट पर दिये गये विस्तृत निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।
- (3)– इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन– डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इण्टरनेट बैंकिंग का उपयोग करके अथवा आफलाइन– ई–चालान के माध्यम से करना होगा।

विकल्प–एक– ऑनलाइन शुल्क का भुगतान–

(i)– आवेदन पत्र में भरे गये विवरण सही हैं, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करने के बाद स्क्रीन पर उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार स्क्रीन पर मांगी जा रही जानकारी देते हुए डेटा सबमिट करें और डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इण्टरनेट बैंकिंग का उपयोग करके आवेदन शुल्क का भुगतान करें। ऑनलाइन व्यय, अगर कोई है, तो अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

(ii)– ऑनलाइन शुल्क के सफलता पूर्वक जमा होने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रिन्ट करते ही Submit हो जायेगा। यदि अभ्यर्थी अन्तिम रूप से Submit नहीं करता है तो अन्तिम तिथि को आवेदन पत्र स्वतः Submit हो जायेगा।

विकल्प–दो– आफलाइन शुल्क का भुगतान–

(i)– आवेदन पत्र में भरे गये विवरण सही हैं, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करने के बाद स्क्रीन पर उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार स्क्रीन पर मांगी जा रही जानकारी देते हुए डेटा सबमिट करें और आवेदन शुल्क भुगतान हेतु ई–चालान का प्रिन्ट आउट ले लें।

(ii)– इसके बाद अभ्यर्थी भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जाकर आवेदन शुल्क का भुगतान ई–चालान के प्रिन्ट आउट पर करें।

(iii)– आवेदन शुल्क का भुगतान होते ही आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जायेगी तथा एसएमएस/ई–मेल द्वारा अभ्यर्थी को इसकी पुष्टि प्राप्त होगी।

(iv)– अभ्यर्थी कृपया बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन पत्र की प्रति प्रिन्ट कर लें।

टिप्पणी–

शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने की दशा में उसका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, उसे निरस्त माना जायेगा। जमा शुल्क किसी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

(v)– अभ्यर्थी आवश्यकता होने पर शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन की अन्तिम तिथि के पूर्व अपना विवरण केवल एक बार संशोधित कर सकता है परन्तु वह अपने मोबाइल नम्बर, ई-मेल तथा आधार नम्बर में कोई संशोधन नहीं कर सकता।

(vi)– आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद उसमें किसी परिवर्तन/संशोधन हेतु कोई अनुरोध बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी इस प्रयोजन हेतु बोर्ड से कोई पत्राचार न करें।

फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर

फार्म में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग-अलग स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार (न्यूनतम 20 के0बी0 तथा अधिकतम 50 के0बी0) व हस्ताक्षर (न्यूनतम 05 के0बी0 तथा अधिकतम 20 के0बी0) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि रंगीन फोटो नवीनतम होनी चाहिए। रंगीन फोटो का आकार 35 मि0मी0 (1.4 इंच) X 45 मि0मी0 (1.75 इंच) का होना चाहिए जिसमें फोटो का लगभग 70 प्रतिशत भाग चेहरे से आच्छादित हो। सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए:–

- 1– चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/छाया नहीं होनी चाहिए।
- 2– नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।
- 3– सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है।
- 4– टुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो।
- 5– तटस्थ अभिव्यक्ति (मुंह बन्द, आँखें खुली)।
- 6– चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखते हुए।
- 7– कैमरे पर सीधी नजर हो।
- 8– चश्मा पहनने की स्थिति में आँखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए।
- 9– फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए।

अभ्यर्थी 3.5 से0मी0 चौड़ा व 1.5 से0मी0 लम्बे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर JPEG, JPG, JPE के प्रारूप में स्कैन करेंगे जिसका आकार 5KB से अधिक व 20KB से कम होना चाहिये।

यदि उपरोक्तानुसार फोटो अपलोड नहीं किया जाता है, तो बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है। फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:–

- (1) अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाये। एक से अधिक आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किये जा सकते हैं।
- (2) अभ्यर्थी, आवेदन-पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन-पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

- (3) जो अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी शासकीय सेवा में हैं उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया के समय अपने नियोक्ता द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

9-अन्य


- 1- विज्ञापित पदों पर की जा रही यह भर्ती अस्थाई है ।
- 2- किसी अनाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, दोषसिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पत्नी के होने या ऐसे पुरुष से विवाह करने जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अथवा चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा बोर्ड की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (**Debar**) करने का अधिकार बोर्ड को होगा ।
- 3- यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता है और/अथवा उसने गलत/झूठी सूचना/ सर्टिफिकेट/अभिलेख प्रस्तुत किये हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाये हैं, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा । यदि इस प्रकार की कोई कमी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात प्रकाश में आती है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।
- 4- इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से जो सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा ।
- 5- यह विज्ञप्ति संगत सेवा नियमावली, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार जारी की जा रही है । किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभास की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी ।

10-बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा

अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केन्द्रों के आवंटन सम्बन्धी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा । इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

11-न्यायिक क्षेत्राधिकार

इस विज्ञापन तथा उसके प्रत्युत्तर में आवेदन से उत्पन्न किसी दावे या विवाद हेतु कानूनी कार्यवाही केवल लखनऊ स्थित न्यायालय में ही शुरू की जा सकेगी ।


अपर सचिव (भर्ती)
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ ।

प्रारूप-1

(शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014)

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री/श्री....
.....निवासी ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....
.....उत्तर प्रदेश राज्य की.....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के
लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपूर्वोक्त
अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम
2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित
की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये
सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर
अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के
ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....में सामान्यतः
रहता है ।

स्थान.....

दिनांक.....

मुहर.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

प्रारूप-2

(शासनादेश संख्या-13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014)
उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री/श्री.....
.....निवासी ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....
.....उत्तर प्रदेश राज्य की.....जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान
(अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान
(अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.....
.....ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....में
सामान्यतया रहता है।

स्थान.....

दिनांक.....

मुहर.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/
परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी
मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

प्रारूप-3

(शासनादेश संख्या-5/2015/18/1/2008-का-2/2015 दिनांक 21 अप्रैल, 2015)

उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....निवासी ग्राम.....
.....तहसील.....नगर.....जिला.....'उत्तर प्रदेश
लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व
सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993' के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और
श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित).....पुत्र/पुत्री/पौत्र(पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र)
तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम,
1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).....
.....के आश्रित हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पद नाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी(सील)

प्रारूप-4

उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पद पर सीधी भर्ती हेतु आयु में छूट चाहने वाले राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाये जहां अभ्यर्थी कार्यरत है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी.....राज्य सरकार के कर्मचारी है जो वेतनमान..... में के पद पर
.....विभाग/कार्यालय में दिनांक.....से नियमित आधार पर सेवारत हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

(कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष)

नाम.....

पद नाम.....

मुहर.....

लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

1-सामान्य ज्ञान (General Knowledge)-

सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उ०प्र० की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी, उ०प्र० में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सम्बन्ध, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर काइम, वस्तु एवं सेवाकर, पुरस्कार और सम्मान, देश/राजधानी/मुद्रायें, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन।

2-सामान्य हिन्दी (General hindi)-

1-हिन्दी और अन्य भारतीय भाषायें, 2-हिन्दी व्याकरण का मौलिक ज्ञान- हिन्दी वर्णमाला, तद्भव-तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास, विराम-चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छन्द, अलंकार आदि, 3-अपठित बोध, 4-प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनायें, 5-हिन्दी भाषा में पुरस्कार, 6-विविध।

3- संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता (Numerical and Mental Ability)

क-संख्यात्मक योग्यता (Numerical Ability)- Number System-संख्या पद्धति, Simplification- सरलीकरण, Decimals and Fraction-दशमलव और भिन्न, Highest common factor and lowest common multiple महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, Ratio and Proportion-अनुपात और समानुपात, Percentage- प्रतिशतता, Profit and Loss-लाभ और हानि, Discount-छूट, Simple interest-साधारण ब्याज, Compound interest-चक्रवृद्धि ब्याज, Partnership- भागीदारी, Average-औसत, Time and Work-समय और कार्य, Time and Distance-समय और दूरी, Use of Tables and Graphs-सारणी और ग्राफ का प्रयोग, Mensuration-मेन्सुरेशन, Arithmetical computations and other analytical functions-अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, Miscellaneous-विविध।

ख-मानसिक योग्यता (Mental Ability)- Logical Diagrams-तार्किक आरेख, Symbol-Relationship Interpretation-संकेत-सम्बन्ध विश्लेषण, Perception Test-प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, Word formation Test-शब्द रचना परीक्षण, Letter and number series-अक्षर और संख्या श्रृंखला, Word and alphabet Analogy-शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, Common Sense Test-व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, Direction sense Test-दिशा ज्ञान परीक्षण, Logical interpretation of data-आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, Forcefulness of argument-प्रभावी तर्क, Determining implied meanings-अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना।

4-मानसिक अभिरूचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता (Mental Aptitude, I.Q. and Reasoning Ability)

क-मानसिक अभिरूचि (Mental Aptitude)- Attitude towards the following –निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण:- Public Interest-जनहित, Law and order-कानून एवं शांति व्यवस्था, Communal harmony-साम्प्रदायिक सद्भाव, Crime Control-अपराध नियंत्रण, Rule of law-विधि का शासन, Ability of Adaptability-अनुकूलन की क्षमता, Professional Information (Basic level)-व्यावसायिक सूचना (बेसिक स्तर की)-Police System-पुलिस प्रणाली, Contemporary Police Issues & Law and order-समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, Interest in Profession-व्यवसाय के प्रति रुचि, Mental toughness-मानसिक दृढ़ता- Sensitivity towards minorities and underprivileged- अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, Gender sensitivity-लैंगिक संवेदनशीलता।

ख-बुद्धिलब्धि (I.Q.)- Relationship and Analogy Test-सम्बन्ध व आंशिक समानता परीक्षण, Spotting out the dissimilar-असमान को चिन्हित करना, Series Completion Test-श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, Coding and Decoding Test-संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, Direction Sense Test-दिशा ज्ञान परीक्षण, Blood Relation-रक्त सम्बन्ध, Problems based on alphabet-वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, Time sequence test-समय-क्रम परीक्षण, Venn Diagram and chart type test-वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, Mathematical ability Test-गणितीय योग्यता परीक्षण, Arranging in order-क्रम में व्यवस्थित करना।

ग-तार्किक क्षमता(Reasoning Ability)- Analogies-समरूपता, Similarities-समानता, Differences-भिन्नता, Space visualization-खाली स्थान भरना, Problem solving-समस्या को सुलझाना, Analysis judgement-विश्लेषण निर्णय, Decision-making-निर्णायक क्षमता, Visual memory-दृश्य स्मृति, Discrimination-विभेदन क्षमता, Observation- पर्यवेक्षण, Relationship-सम्बन्ध, Concepts-अवधारणा, Arithmetical reasoning- अंकगणितीय तर्क, Verbal and figure classification-शब्द और आकृति वर्गीकरण, Arithmetical number series- अंकगणितीय संख्या श्रृंखला. Abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationships-अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके सम्बन्धों से सामंजस्य की क्षमता।